103

मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक एफ 3/92/2012/बी–3/दो भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2013

प्रति,

पुलिस महानिदेशक,
मध्यप्रदेश,
भोपाल

विषय :— मध्यप्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ।

राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि मध्यप्रदेश पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए बेहतर उपचार प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लागू की जाए । इस योजना के प्रावधान निम्नानुसार होंगे :--

1 **योजना का नामः**— इस योजना का नाम मध्यप्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना होगा ।

2 **योजना का कार्यान्वयन हेतु संस्थागत व्यवस्था** :— इस योजना का क्रियान्वयन हेतु पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में एक न्यास पंजीकृत किया जाएगा । न्यास के पंजीयन हेतु ज्ञापन पर राज्य शासन की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी तथा न्यास के पंजीयन ज्ञापन में संशोधन राज्य शासन की स्वीकृति से किये जा सकेंगे।

3 **योजना की सदस्यता ग्रहण करने तथा उसके अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रताएं** :—

(क) मध्यप्रदेश पुलिस के सभी श्रेणी के सेवारत अधिकारी तथा कर्मचारी इस योजना के सदस्य बनने के लिए पात्र होंगे ।

(ख) यह योजना भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों पर लागू नहीं होगी ।

(ग) ऐसे पुलिस अधिकारी व कर्मचारी जो कि अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर हैं, वे अपनी प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे ।

-104-

(घ) अन्य विभागों के ऐसे कर्मचारी जो कि पुलिस इकाईयों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं,वे केवल अपनी प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान ही इस योजना के सदस्य बने रह सकेंगे एवं योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर वे योजना के सदस्य नहीं रहेंगे ।

(ङ) परिवीक्षाधीन पुलिस अधिकारी तथा कर्मचारी एवं नव आरक्षक भी इस योजना के सदस्य बनने के पात्र होंगे ।

(च) योजना की सदस्यता ग्रहण करने के उपरांत उससे वापसी अनुज्ञेय नहीं होगी, परन्तु निम्नलिखित परिस्थितियों में सदस्यता स्वयमेव समाप्त हो जाएगी :--

(एक) मृत्यु, त्यागपत्र अथवा सेवा निवृत्ति के फलस्वरूप;
(दो) भारतीय पुलिस सेवा में चयन होने के फलस्वरूप;
(तीन) अन्य विभाग से पुलिस में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति समाप्त होने पर; तथा
(चार) योजना अवधि समाप्त होने पर

(छ) योजना के सदस्य तथा उसके परिवार के सदस्य इस योजना के अन्तर्गत लाभ पाने के लिए पात्र होंगे । परिवार के सदस्यों की परिभाषा वही होगी जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 1958 में है ।

4 **न्यास की आय के स्रोत** :-- न्यास के आय के स्रोत निम्न होंगे :--

(क) योजना के प्रत्येक सदस्य के द्वारा सदस्यता ग्रहण करते समय प्रवेश शुल्क रू0 100 जमा कराया जाएगा तथा इसके उपरांत प्रतिमाह रू0 50 का अंशदान जमा कराया जाएगा ।

(ख) न्यास को पुलिस मुख्यालय द्वारा अशासकीय निधियों के अन्य स्रोतों से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी।

(ग) न्यास के द्वारा राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, स्थानीय निकाय, विभिन्न संघ तथा निजी दानदाताओं आदि से दान के माध्यम से राशि प्राप्त की जा सकेगी । न्यास के द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के तहत दानदाताओं के लिए आयकर छूट प्राप्ति के लिए प्रावधान कराया जा सकेगा ।

(घ) अन्य विविध आय जिसमें बैंक ब्याज सम्मिलित है ।

(ङ) अन्य आय के स्रोत जो राज्य शासन अथवा केन्द्र सरकार की किन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध हो प्राप्त करना ।

-105-

5 योजना के सदस्यों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधाएं :–

(क) न्यास के द्वारा प्रदेश के अन्दर और बाहर स्थित राज्य शासन से समय समय पर मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों के साथ अनुबंध किया जाएगा ।

(ख) इकाई प्रमुख (पुलिस अधीक्षक, सेनानी, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक) के द्वारा योजना के सदस्यों तथा उनके परिवारों के सदस्यों को संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के परामर्श पर प्रदेश के अंदर एवं प्रदेश के बाहर स्थित मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में उपचार के लिए रिफर किया जा सकेगा ।

(ग) न्यास अनुबंधित चिकित्सालय को योजना के सदस्य अथवा उसके परिवार के सदस्य की चिकित्सा पर हुए व्यय का सीधे भुगतान कर सकेगा ।

(घ) योजना के अन्तर्गत सदस्य अथवा उसके परिवार के सदस्य द्वारा अनुबंधित चिकित्सालय में करायी गयी चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा उन्हीं शर्तों, मापदंडों व सीमाओं के अन्तर्गत की जावेगी जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 1958 के अन्तर्गत देय होगी । इससे हटकर हुआ व्यय संबंधित कर्मचारी अथवा न्यास द्वारा वहन किया जायेगा । रिफरल का परामर्श देने वाले मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मेडिकल बिल प्रतिहस्ताक्षरित करने के उपरांत ही राशि की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी। सदस्य के द्वारा लिखित में अधिकृत किये जाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि का भुगतान सीधे न्यास के खाते में किया जावेगा ।

(ङ) न्यास द्वारा समय समय पर समीक्षा कर आवश्यकतानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराने, बीमारी विशेष के लिए अधिकतम राशि का निर्धारण करने एवं सदस्यों से अंशदान की राशि में कमी अथवा वृद्धि करने का निर्णय के साथ ही न्यास के पास उपलब्ध संसाधन से अधिक भुगतान की स्थिति निर्मित न हो, इस पर निगरानी रखी जाएगी । न्यास के द्वारा चिकित्सालयों से प्राप्त देयकों का मेडिकल ऑडिट भी कराया जावेगा ।

6 न्यास की निधि का उपयोग :–

न्यास की निधि निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जा सकेगी :–

(क) योजना के कार्यान्वयन पर आने वाला व्यय

106

(ख) अधिसूचित चिकित्सालयों में सदस्यों के उपचार पर चिकित्सालय द्वारा प्रस्तुत देयक का भुगतान ।

(ग) योजना के सदस्य अथवा उसके परिवार के सदस्य को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 1958 के अन्तर्गत प्राप्त प्रतिपूर्ति की राशि से अधिक हुआ व्यय इस मद में योजना के सदस्य तथा उसके परिवार पर संयुक्त रूप से एक वर्ष में रू0 8 लाख तक व्यय किया जा सकेगा ।

(घ) सदस्यों को अन्य ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु व्यय जैसा कि न्यास अपने वित्तीय क्षमता के अन्तर्गत निर्धारित करें।

7 विविध :–

(क) राज्य शासन इस योजना के प्रावधानों को समय समय पर संशोधित कर सकेगा तथा निर्देश जारी कर सकेगा जो न्यास पर आबद्धकारी होंगे ।

(ख) यह योजना फिलहाल प्रायोगिक तौर पर तीन वित्तीय वर्षों 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 के लिए लागू की जावेगी। इस अवधि उपरान्त प्राप्त अनुभवों उपरांत इसे आगे जारी रखने के संबंध में निर्णय लिया जावेगा ।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यूओ क्रमांक 893/1092 दिनांक 19/08/13 के क्रम में जारी की जा रही है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डी.पी. गुप्ता)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग

107

पृ0क0 एफ 3/92/2012/बी-3/दो भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2013

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग, मंत्रालय, भोपाल
5. आयुक्त, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश, भोपाल
6. आयुक्त, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल
8. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म0प्र0, भोपाल
9. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
10. समस्त पुलिस महानिरीक्षक जोन, मध्यप्रदेश
11. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालीय, मध्यप्रदेश
12. समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक रेंज, मध्यप्रदेश
13. समस्त संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश
14. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
15. समस्त पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश
16. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मध्यप्रदेश
17. समस्त जिला आयुर्वेद अधिकारी, मध्यप्रदेश
18. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग